विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 09/परीक्षा/वरिष्ठ अध्यापक/TSP/माध्यमिक शिक्षा/2018–19 **दिनांक : 09.04.2018**

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए **टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014** के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में **वरिष्ठ अध्यापक** के पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त आरक्षित पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।) की संख्या निम्नानुसार है :–

पदों की संख्या	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछडा वर्ग				अति पिछडा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
हिन्दी (कुल 318 पद)																				
सामान्य पद 318	113	32	13	3	11	3	1	0	100	28	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक – 39 पद, विशेष योग्यजन – B/LV 5, LD/CP 4 पद																				
अंग्रेजी (कुल 16 पद)																				
सामान्य पद 16 पद	7	2	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक – 2 पद																				
विज्ञान (कुल 39 पद)																				
सामान्य पद 39 पद	15	4	2	0	1	0	0	0	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक – 4 पद																				
गणित (कुल 71 पद)																				
सामान्य पद 71 पद	27	7	3	0	3	0	0	0	22	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक – 8 पद, विशेष योग्यजन – LD/CP 1 पद																				
सामाजिक विज्ञान (कुल 202 पद)																				
सामान्य पद 202 पद	72	20	8	2	7	2	1	0	63	18	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक – 25 पद, विशेष योग्यजन – B/LV 4, LD/CP 3 पद																				
संस्कृत (कुल 178 पद)																				
सामान्य 178 पद	63	18	8	1	6	2	0	0	56	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक – 22 पद, विशेष योग्यजन – B/LV 3, LD/CP 2 पद																				
उर्दू (कुल 14 पद)																				
सामान्य 14 पद	7	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक 1 पद																				

नोट : – इस विज्ञापन के तहत् राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदनकरें। अन्य क्षेत्रके अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत एवं उर्दू विषय के लिये) :–

(1) Graduate or equivalent examination with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (विज्ञान विषय के लिये) :–

Graduate or equivalent examination with at least two of the following subjects as Optional Subjects :
Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro Biology, Bio Technology and Bio Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) :–

Graduate or equivalent examination with at least two subjects out of the subjects – History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy as optional subjects and Degree or Diploma in education recognized by Government of Rajasthan.

(2) (सभी विषय पदों हेतु): – Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

(3) आयु सीमा :– दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। **(4) वेतनमान :– Pay Matrix Level (L – 11)**

आयु सीमा में छूट के प्रावधान			
क्र.सं.	**अभ्यर्थियों का वर्ग**		**अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)**
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान	
1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर **Substantive** रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules,
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules,
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they may have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.
4	राजस्थान राज्य के कारोबार में **Substantive** रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity shall be 40 years.
5	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The cadet instructors shall be allowed to deduct, from their actual age, the period of service rendered by them in the N.C.C. and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed above by more than three years they shall be deemed to be within the prescribed age limit.

6	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
7	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक 01.01.2019 को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, Ex-servicemen must not have attained the age of 50 years on 01.01. 2019. Provided that in the case of holders of Military Cross/Vir Chakra or any other higher distinction, the upper age limit shall be relaxable by two Years.
8	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of panchayat samities and zila parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
9	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान् पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। That there shall be no age limit in case of persons repatriated from Pakistan during the year 1971 (Indo-Pak war)
10	कीनिया, तंजानिया, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। That there shall be no age limit in the case of persons repatriated from East African Countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar.
11	रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of reservists namely the defense service personnel who were transferred to the Reserve.

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे – आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।

(3) उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2016 में विज्ञापित किये गये थे, जिसके तहत् आयु की गणना का आधार 01.01.2017 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **एक वर्ष की छूट** देय होगी।

(4) अन्य विशिष्ट श्रेणियों में आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

अनेक पदों के लिए आवेदन–	यदि कोई अभ्यर्थी **वरिष्ठ अध्यापक** के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन–पत्र का **आवेदन पत्र क्रमांक** (Application ID) अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिये प्रथम प्रश्न–पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु उन्हें पृथक–पृथक परीक्षा देनी पड़ेगी। **यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है, तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जाएगा।**
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी जिला/संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है।
आवेदन अवधि	**दिनांक** 10–05–2018 **से दिनांक** 09–06–2018 रात्रि 12–00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	**1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan/gov.in/applyonline से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लोगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा।** **2. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।** **3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा।** **4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें।** **5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।** **6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।**
ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक** 10.06.2018 **से दिनांक** 16.06.2018 रात्रि 12–00 बजे तक।

Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher

PAPER – I

For competitive examination for the post of senior teacher :-

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :-

(i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.		80 marks
(ii) Current Affairs of Rajasthan		20 marks
(iii) General knowledge of world and India		60 marks
(iv) Educational Psychology.		40 marks
	Total	200 marks

5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

PAPER – II

A. For the post of Senior Teacher :-

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 Hours 30 Minutes
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :-

(i)	Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.	180 marks
(ii)	knowledge of graduation standard about relevant subject matter	80 marks

(iii)	Teaching methods of relevant subject.	40 marks
		Total 300 marks

5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

विशेष नोट :–

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष सूचना :– ''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव